


वायरल वीडियो में संघ के तथाकथित आंतकवादी चाल-चरित्र के दावे



मजदूर मोर्चा ब्लू
सॉ.एस.एस. अर्डिएटर
निरंजन टाकल
पूर्व रिपोर्टर, सीएनएस अर्डिएटर

शेयर की जा रही है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में निरंजन टाकले नाम का व्यक्ति 'संघ का आंतक और न्याय व्यवस्था की असफलता' विषय पर अपने दावे करता नजर आ रहा है। वक्ता के दावों की मजदूर मोर्चा पुष्टि नहीं करता लेकिन संघ अथवा भाजपा ने आजतक इसका खंडन भी नहीं किया है।

वक्ता निरंजन टाकले शुरुआत करते हैं कि हेमत करकरे द श्रेटेन लेगेसी यह सब्जेक्ट है, दरअसल बताया गया कि अगस्त 2006 में मालेगांव में पहला बम ब्लास्ट हुआ था। यह शब्द बरात का दिन था और इस दिन काफी तादाद में मालेगांव में लोग आते हैं। उस दिन दोपहर को दो बजे के करीब सबसे पहले हमीदिया मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, फिर बड़ी मस्जिद के अंदर पीछे स्थित कब्रिस्तान में दूसरा ब्लास्ट हुआ, तीसरा मस्जिद के गेट पर हुआ और चौथा उसी के पास के मुशावरत चौक में हुआ था। यह ब्लास्ट अगस्त 2006 में हुए थे।

डांग जिले में नवापुर इलाका है। इस (बम ब्लास्ट की घटना) से पहले 18, फरवरी 2006 को नवापुर में बड़े प्लू फैलने की खबरें डिलाई गई थीं। करीब पंद्रह लाख मुर्गियों को मार कर उन्हें दफनाना पड़ा था। उस वक्त सीएनएन आईबीएन के स्ट्रिंगर की हेसियत से पहले मैं वहां गया था। वहां मैंने पाया कि वहां का पोलिट्री बिजनेस 100 प्रतिशत मुसलमान चलाते हैं, बाकी ट्राइबल पापुलेशन है। नवापुर से करीब बोस किलोमीटर दूरी पर पंद्रह दिन पहले जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में अदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए एक शबरीकुंभ नाम का कुंभ आयोजित किया गया था। इसका आयोजन असीमानंद ने किया था, असीमानंद का आत्रम वहां पर था। 1998-99 में नासिक में हालात ऐसे थे कि वहां दुग्ध वाहिनी, बजरंग दल के ट्रेनिंग कैंप होते थे और जैसे ही ट्रेनिंग कैंप खत्म हुआ तीन दिन बाद डांग में चर्च जलाया गया। कड़वन अभोना नाम की जगह है वहां पर क्रिक्षियन हॉस्टलों पर हमला किया गया। इस तरह यह दो तीन जगहें हैं जहां दो-तीन दिन के अंतराल में इस तरह की वारदातें हुई थीं।

2006 में इस तरह की घटनाओं के होने से क्रीनोलॉजी मन में थी, इसके आधार पर मन में यह संदेह हुआ था कि पंद्रह दिन पहले जो शबरीकुंभ हुआ है क्या उसका और इस बड़े प्लू बीच कोई कनेक्शन है? क्योंकि बड़े प्लू से नवापुर की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। उसको



गया था कि बड़े प्लू की रिपोर्ट भोपाल की एक लेबोरेटरी से आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया था कि यहां (नवापुर इलाके) की मुर्गियों में बड़े प्लू पाया गया है।

पत्रकार होने के नाते हमने मुर्गीपालन केंद्र के मालिकों से पछ्या तो उन लोगों ने बताया कि वह लौग तो अपनी मुर्गियां सरत-मुंबई भेजते हैं, मध्य प्रदेश तो मुर्गी भेजते ही नहीं हैं, पता ही नहीं यह रिपोर्ट कहां से आई है। एनिमल हस्टबैंडी विभाग को भी पता नहीं था कि यह रिपोर्ट भोपाल से कैसे आई है। इस पर मैं लेबोरेटरी का सत्यापन करने के लिए वह रिपोर्ट लेकर उसमें बताएं पते पर भोपाल गया, लेकिन वहां पाया कि इस तरह की कोई लेबोरेटरी है ही नहीं।

उस पते पर इस तरह की किसी लैब का कोई वजूद ही नहीं था। यानी यह रिपोर्ट एक फर्जी डॉक्यूमेंट थी जिसके जरिए अफवाह फैलाई गई थी कि वहां पर बड़े प्लू है, सारी मुर्गियां मार कर वहां की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त की गई। तब अनजान मैंने यह रिपोर्ट की थी कि शायद इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, और अगस्त में यह बम ब्लास्ट हुआ।

2006 में जब यह ब्लास्ट हुआ तो हमारी सीएनएन आईबीएन की रिपोर्ट तोरल वारिया मुंबई से आई थीं। तोरल वारिया की कार एक कॉनवाय को फॉलो कर रही थी। एक जगह कुछ पानी पड़ा हुआ था। जब कार वहां पहुंची तो कार से पानी की छोटे उछलते और पुलिस अधिकारी की बर्दी पर पड़ गई। पुलिस अधिकारी ने कार के ड्राइवर और तोरल वारिया को बुरी तरह से पीटा। हम लौग इसकी कंप्लेंट करने के लिए मालेगांव के छावनी पुलिस स्टेशन गए थे। उस वक्त कैपीएस ध्ववंशी एटीएस के चीफ थे और जैन नासिक डिवीजन के आईजी थे। जैन ने (मालेगांव बम ब्लास्ट के) दो सप्पेक्टस के स्केच जारी किए थे। बताया गया कि यह सारे बम लगाने के लिए मालेगांव की एक साइकिल की दुकान से साइकिल खरीदी गई थीं।

दुकान पर जिस शख्स ने साइकिलें बेचीं थीं उसने जो हुलिया बताया उसके आधार पर स्केच तैयार किए गए हैं। उसको

यह इसलिए याद रहा कि दो लोग ही चार साइकिल खरीदने आए थे और साइकिलों में कैरियर लगवाने पर अड़े हुए थे। दोनों अपने दोनों हाथों में दो-दो साइकिलें लेकर गए इसलिए भी उसे उनकी शक्ति याद रहीं। जो स्केच बनवाई गई थीं उसमें दोनों शख्स क्लीन शेव थे। तोरल वारिया के केस में कंप्लेंट करने में छावनी पुलिस स्टेशन गया था, वहां एक लड़का बैठा हुआ था। हरे रंग की पैंट, गुलाबी रंग की शर्ट और एकदम अलग ही रंग की चप्पलें पहने हुए था, हल्की सी दाढ़ी थी। करीब एक डेढ़ घंटा मैं वहां रहा इस दौरान वह भी वहां बैठा हुआ था, उसके अंती बपहावे की बजह से मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरे ध्यान में रहा।

बाद में हमको कहा गया कि पीछे एसपी ऑफिस के लॉन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आप वहां पर जाइए तो हम लोग वहां चले गए। वहां पहले दिन ही एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन टेकओवर कर लिया था, लेकिन उसके पहले ही आईजी ने संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए थे। एटीएस के केपी रघुवंशी ने उस वक्त वहां एलान किया कि हमने पहले सप्पेक्ट को ओरेस्ट कर किया है जिसका नाम है नूरुल हुडा। वह लड़का जो वहां पर मेरे सामने करीब डेढ़ घंटे बैठा था उसको बुर्का पहना कर लाया गया और कहा गया कि यही वह संदिग्ध है। लेकिन उसकी शर्ट, पैंट और स्लीफर की बजह से मैं पहचान गया कि यह वही लड़का है जो दो घंटा वहां आराम से बैठा हुआ था, तो यह कैसे संदिग्ध आतंकी हो सकता है? क्योंकि जो धमाका हुआ है उसमें 37 लोगों की जान गई है 200 से ज्यादा गंभीर हालत में जख्मी हैं। ऐसे ब्लास्ट के लिए जो संदिग्ध पकड़ा जाता है वह दो घंटा आराम से कुर्सी पर बैठा है यह बहुत ही अजीब था।

दूसरी बात नूरुल हुडा की जो दाढ़ी थी वह कम से कम सात आठ महीने से रखी हुई है। समझ में आ रहा था कि जो संदिग्ध थे वो क्लीन शेव थे, तो दो दिन में इतनी बड़ी दाढ़ी तो आ नहीं सकती। उसी दिन बाद में तीन और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल आठ दस लोगों को गिरफ्तार किया गया। हर एक आरोपी की दाढ़ी कम से कम दो से तीन साल से रखी हुई थी और जो क्लीन शेव वाले सप्पेक्ट की स्केच जारी की गई थी उनमें से कोई भी

वीडियो ट्रांस्क्रिप्ट्स के आधार पर लिखी गई थी। मेरे पास यह सभी ट्रांस्क्रिप्ट्स हैं जिनमें से कुछ मैं अपने साथ लाया हूं। यह 414 मिनट की बातचीत एटीएस के पास मौजूद है और कोर्ट में भी प्रस्तुत की गई है। इन ट्रांस्क्रिप्ट्स में सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट ही नहीं, हिंदू राष्ट्र निर्माण, संविधान को नकारा और इजराइल या थाईलैंड में एक निवारित सरकार का गठन करना, जिसके लिए कर्नल पुरोहित थाईलैंड और इजराइल से जो संपर्क साध रहे थे, वह बातें हैं। लेकिन इन सभी ट्रांस्क्रिप्ट्स को नकारते हुए अगर एनआईए यह कहती है कि प्रज्ञा सिंह थाकुर का इसमें कोई रोल नहीं है तो यह अपने आप में बहुत संदेहजनक है क्या यह जांच बाकई न्याय दिलाने के लिए हो रही है।

क्योंकि यदि मैं अपनी मोटर साइकिल किसी को देता हूं और यदि उससे कोई दुर्घटना होती है तो वाहन का मालिक होने के कारण मेरे खिलाफ केस दर्ज होगा। इस मामले में मालिक ने अपना वाहन दिया है और वाहन का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए किया गया है। बावजूद इसके जांच एजेंसी कहती है कि वाहन की मालिक इसमें सर्वानन्द हैं।

दयानंद पांडे यह बाकई न्याय दिलाने के लिए बदला देख रहा है बाकी वार्ताएँ आंतकवादी चाल-चरित्र के लिए ब्लास्ट का आधार करती है, जो ब्लास्ट का आधार नहीं है। इसकी बातें एटीएस ने ऐसी 34 वीडियो बरामद कीं, उनकी भी ट्रांस्क्रिप्ट्स उपलब्ध हैं। उन सभी बैठकों में कहां साजिश रची गई, कहां निर्वासन में सरकार बनाई जानी है, कैसे धन का प्रबंध करना है और कैसे विस्फोटक का प्रबंध करना है सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है। इन सभी वीडियो में प्रज्ञा सिंह मौजूद रहीं। कई बैठकों की तो उसने अध्यक्षता की, एक बैठक में तो वह मालेगांव में कराए जाने वाले विस्फोट के लिए बम रखने वाले लोगों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लेती दिखाई गई है। इन्हें सुबत होने के बावजूद एजेंसी कहती है कि प्रज्ञा सिंह का कोई रोल नहीं है और वह आरोपी नहीं हो सकती। उन सभी 34 वीडियो में सभी आरोपी मौजूद हैं और साजिश रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह निर्वासन में सरकार का गठन करने के राष्ट्र विरोधी एजेंट पर विचार विमर्श कर रहे हैं, बावजूद इसके एजेंसी कहती है कि इस मामले में महाराष्ट्र अर्गनाइजेशन क्राइम एक्ट (मकोका) लागू नहीं होता। यह कैसे संभव है, जब सभी लोग मौजूद हैं, एक संगठित ढांग से साजिश पर विचार-विमर